न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
16 / 2020	2020 / 312	12.02.2020	30.05.2022

उनवान प्रकरण

1. जगदीश सिंह पुत्र किशोर सिंह आयु .... वर्ष
2. भगवत सिंह पुत्र किशोर सिंह आयु ...... वर्ष

समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.

वादीगण

बनाम

1. पुरूषोत्तम शर्मा पुत्र स्व0 सीताराम आयु ... वर्ष
2. कौशल किशोर शर्मा पुत्र स्व0 सीताराम आयु .... वर्ष
3. कमल किशोर शर्मा पुत्र स्व0 सीताराम आयु .... वर्ष

समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

4. भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

—प्रतिवादीगण

उपस्थितः—

श्री दीपक बाजिया, एड0 वादीगण अभिभाषक।

श्री सुशील शर्मा, एड0 प्रतिवादी संख्या 2

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से

वादपत्र बाबत घोषणा एंव स्थायी [illegible] अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.06.07 12:30:56 IST
Reason: SelfAttested

30/05/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

–: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 2497 रकबा 0.1600 हैक्टर तन ग्राम महरोली पटवार हल्का महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज.) में अवस्थित है। जिसमें 1/32 हिस्सा की खातेदारी प्रतिवादी संख्या –1 ता 3 के पिता स्वर्गीय सीताराम पुत्र चन्द्र के नाम दर्ज है तथा उसकी जाति माली वर्तमान राजस्व रिकोर्ड में गलत दर्ज है। इसकी जाति वास्तविक रूप से ब्राहम्ण है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 2496, 2498, 2499 कुल किता –3 कुल रकबा 1.1100 हैक्टर तन ग्राम महरोली पटवार हल्का महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में अवस्थित है। जिसमें 1/32 हिस्सा की खातेदारी प्रतिवादी संख्या –1 ता 3 के पिता स्वर्गीय सीताराम पुत्र चन्द्र के नाम दर्ज है। जो गलत दर्ज है तथा उसकी जाति माली वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज हैं। इसकी जाति वास्तविक रूप से ब्राहम्ण है। उक्त वर्णित कृषी भूमि में प्रतिवादी संख्या –1 ता 3 के पिता स्वर्गीय सीताराम पुत्र चन्द्र के नाम 1/32 हिस्सा की खातेदारी गलत रूप से दर्ज चली आ रही है। उक्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या – 1 ता 3 व उसके पिता स्वर्गीय सीताराम पुत्र चन्द्र का कोई कब्जा काश्त कभी नही रहा है ना ही वर्तमान में है बल्कि उक्त भूमि पर वादीगण वक्त बुजुर्गान के समय से प्रतिवादी संख्या – 1 ता 3 व उनके पिता स्वर्गीय सीताराम पुत्र चन्द्र की जानकारी में मौके पर पूर्णत काबिज काश्त चले आ रहे है एवं पुक्ता मकानात बनाकर रिहायश करते आ रहे है तथा पानी नल कनेक्शन एंव विधुत कनेक्शन अपने नाम से ले रखा है। इसलिए उक्त भूमि के वादीगण प्रतिकूल कब्जा के आधार पर कानूनन खातेदार काश्तकार हो चुके है तथा उक्त भूमि की खातेदारी वादीगण अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है तथा वादीगण के नाम भूमि की खातेदारी दर्ज नहीं होने से वादीगण को राज्य सरकार से मिलने वाली सुविधाओं से महरूम होना पड़ रहा है तथा वादीगण अपनी भूमि का समुचित विकास भी नहीं कर पा रहे है। इसलिए वादीगण के नाम उक्त भूमि की खातेदारी राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है तथा प्रतिवादी संख्या – 1 ता 3 के पिता स्वर्गीय सीताराम पुत्र चन्द्र का नाम राजस्व रिकार्ड

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.06.07 12:30:56 IST
Reason: SelfAttested

20/05/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

से हजफ किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है तथा प्रतिवादीगण को वादीगण के कब्जा काश्त व भूमि के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा कारित करने का कोई अधिकार किसी किस्म का नहीं है। इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को उक्त भूमि की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम दर्ज करवाने हेतु कहा तो आश्वासन देते रहे है परन्तु अब प्रतिवादीगण के मन में बेईमानी आ गई है। इसलिए दिनांक 10.11.2019 को इन्कार हो गये तथा वादीगण के कब्जा काश्त में मजाहमत करने की धमकी दी है। इसलिए माननीय न्यायालय में बिनाय ए दावा पैदा होकर प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। वादीगण ने यह दावा विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश कर ग्राम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 2497 रकबा 0.1600 हैक्टर एंव खसरा नम्बर 2496, 2498, 2499 कुल किता 3 कुल रकबा 1.1100 हैक्टर में प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पिता स्वर्गीय सीताराम पुत्र चन्द्र के नाम दर्ज हिस्सा 1/32 का वादीगण को बहिस्सा बराबर–बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त हिस्सा की खातेदारी से प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पिता स्वर्गीय सीताराम पुत्र चन्द्र का नाम हजफ किया जाकर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम दर्ज किये जाने का निवेदन करते हुए दावा पेश करना आवश्यक हुआ है। इसलिए दावा पेश करने बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादीगण के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी नं. 2 ने उपस्थित होकर वादीगण के पक्ष में वादपत्र को स्वीकार करते हुए राजीनामा न्यायालय में पेश कर तस्दीक कराया है तथा प्रतिवादी सं. 1 व 3 की सम्मन तामील जरिये [illegible] वादीगण द्वारा निवेदन किये जाने पर इनकी तलबी जरिये समाचार पत्र दैनिक [illegible] में दिनांक 18 फरवरी 2022 को एंव राष्ट्रदूत में दिनांक 19 फरवरी 2022 को प्रकाशित [illegible] गया। समाचार पत्रों में सम्मन प्रकाशित हो जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

30/05/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.06.07 12:30:56 IST
Reason: SelfAttested

अमल में लाई गई। साक्ष्य वादीगण में जगदीश सिंह व भगवत सिंह के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश किये गये। वादीगण द्वारा अन्य साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य वादीगण बन्द की गई। प्रकरण में प्रतिवादी सं. 2 के द्वारा वादीगण के पक्ष में सहमति प्रदान कर राजीनामा पेश कर दिये जाने से वादपत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन करते हुए प्रकरण में आज ही बहस सुने जाने का निवेदन किया गया है।

हमनें वादीगण अभिभाषक की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादीगण अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 के अनुसार वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बरान 2497 रकबा 0.1600 हैक्टर एंव खसरा नम्बर 2496, 2498, 2499 कुल किता 3 कुल रकबा 1.1100 हैक्टर में प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पिता स्वर्गीय सीताराम पुत्र चन्द्र हिस्सा 1/32 जाति माली सा.देह के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। जिसमें सीताराम की मृत्यु हो चूकी है। उक्त वादग्रस्त भूमियों पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के स्वर्गीय पिता सीताराम का कभी कोई कब्जा काश्त नहीं होना तथा वादीगण का ही कब्जा काश्त होकर मौके पर पुख्ता मकानात बनाकर रिहायश करना तथा पेयजल व विद्युत कनेक्शन अपने नाम करवाना वकील वादीगण ने अपनी बहस में अवगत कराया है। जिस बाबत सरपंच, ग्राम पंचायत महरोली के द्वारा भी प्रार्थीगण के तीस वर्षो से निवास करने बाबत दिनांकित 30.09.2019 के द्वारा अवगत कराया गया है। वकील वादीगण ने वादीगण के वादग्रस्त आराजी भूमियों पर किसी प्रकार का कब्जा काश्त होने बाबत ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य यथा खसरा गिरदावरी, खतौनी पर्चा इत्यादि कोई राजस्व दस्तावेजात् पेश नहीं किया गया है। जिससे यह सिद्ध होता हो कि वादीगण का उक्त वादग्रस्त [illegible] पर काफी वर्षो से कब्जा काश्त रहा हो। केवल मात्र जलदाय[illegible] व विद्युत [illegible] पेयजल व विद्युत के बिल पेश किये गये है। जिससे वादीगण का उक्त वादग्रस्त [illegible] पर केवल मात्र कब्जा होना प्रकट होता है। प्रशासन गांवो के संग अभियान– 2021 के तहत ग्राम पंचायत महरोली मे

अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.06.07 12:30:56 IST
Reason: SelfAttested

20/05/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

आयोजित शिविर में प्रतिवादी संख्या 2 ने वादीगण के पक्ष में राजीनामा पेश कर वादीगण द्वारा चाही गई इस्तदुआ को स्वीकार किया गया है। शेष प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 के बारे में ग्राम पंचायत महरोली में आयोजित शिविर में जानकारी प्राप्त करने पर प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के कई वर्ष पहले फौत होने की जानकारी मजमे-ए-आम में सामने आई है। जिस पर वकील वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के वारिसान् को पक्षकार बनाये जाने की बार-बार हिदायत दी गई लेकिन बावजूद हिदायतों के उपरान्त भी वकील वादीगण द्वारा उक्त प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 के वारिसान् की सूचि पेश नहीं की गई है। वकील वादीगण द्वारा केवल मात्र मृत्तक प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 की सम्मन तामील जरिये दो समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाई गई है। किसी मृत्तक खातेदारान् की तामील जरिये समाचार पत्रों में प्रकाशित करवा दिये जाने के आधार पर बिना उनके विधिक वारीसान् को वादपत्र में आवश्यक पक्षकार प्रतिवादीगण प्रतिस्थापित किये बिना उनके विरूद्ध किसी प्रकार का अनुतोष वादीगण को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को मध्यनजर रखते हुए वादीगण को दिया जाना सम्भव नहीं है। जहॉ तक प्रतिवादी संख्या 2 के द्वारा वादीगण के पक्ष में राजीनामा प्रस्तुत कर वादीगण के वाद पत्र को स्वीकार किया है। अतः ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या 2 को अपने पिता से विरासत में प्राप्त होने वाले हिस्से तक पक्षकारान् वादीगण के पक्ष में प्रस्तुत राजीनामा व अन्य दस्तावेज साक्ष्यों के आधार पर वादीगण को प्रतिवादी संख्या 2 के हक हिस्से तक कब्जे काश्त की भूमियों की खातेदारी अधिकारों की घोषणा किया जाना उचित प्रतित होता है। अतः ऐसी स्थिति में आराजीयात काश्तकारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 2497 रकबा 0.1600 हैक्टर एंव खसरा नम्बर 2496, 2498, 2499 कुल किता 3 कुल रकबा 1.1100 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर में प्रतिवादी संख्या 2 के पिता स्वर्गीय [illegible] हिस्सा 1/32 हिस्से में प्रतिवादी संख्या 2 को नोशनल शेयर से प्राप्त होने [illegible] को बहिस्सा बराबर-बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त हिस्सा [illegible]वादी संख्या 1 ता 3 के मृत्तक पिता का हिस्सा कम किया जाकर वादीगण के नाम दर्ज किये जाने तथा शेष हिस्सा राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.06.07 12:30:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

20/05/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

रिकार्ड में यथावत रखे जाने हेतु वादपत्र को बवजह राजीनामा आंशिक स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत् घोषणा एंव स्थाई निषेधाज्ञा को बवजह राजीनामा आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 2497 रकबा 0.1600 हैक्टर एंव खसरा नम्बर 2496, 2498, 2499 कुल किता 3 कुल रकबा 1.1100 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर में प्रतिवादी संख्या 2 के मृत्तक पिता स्वर्गीय सीताराम पुत्र चन्द्र हिस्सा 1/32 हिस्से में से प्रतिवादी संख्या 2 को पेंशनल शेयर से प्राप्त होने वाले हिस्से तक का वादीगण को बहिस्सा बराबर–बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त हिस्सा से प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के मृत्तक पिता का हिस्सा कम किया जाकर वादीगण के नाम दर्ज किया जावे तथा शेष हिस्सा राजस्व रिकार्ड में यथावत रखे जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। प्रतिवादी संख्या 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के हक हिस्सा व कब्जो काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत नहीं करें तथा ना ही दीगर से करावें। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एंव राजस्व अपवंचना की जॉच कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.06.07 12:30:56 IST
Reason: SelfAttested

30/05/22
(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 30.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/05/22
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर (सीकर)